भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *249

दिनांक 16 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

.....

आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में गुण्डलाकम्मा जलाशय परियोजना

***249. श्री येर्रम वेंकट सुब्बा रेड्डी:**

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच नहीं है कि आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में गुण्डलाकम्मा जलाशय परियोजना को लगभग एक दशक पहले प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (पीएमकेएसवाई-एआईबीपी) के अन्तर्गत संस्वीकृत किया गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसमें लगभग 32,500 हेक्टेयर की उच्च सिंचाई क्षमता सृजित की जानी थी, लेकिन सरकार उससे बहुत ही कम सिंचाई क्षमता सृजित कर पाई है;

(ग) यदि हां, तो इसमें देरी होने के क्या कारण हैं और यह परियोजना कब तक पूरी कर ली जाएगी; और

(घ) परियोजना की मूल अनुमानित लागत क्या थी और क्या परियोजना की निर्धारित लागत और समय-सीमा में अतिशय वृद्धि हुई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या है?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री
(श्री सी आर पाटील)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

'आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में गुण्डलाकम्मा जलाशय परियोजना' के संबंध में दिनांक 16.03.2026 को राज्य सभा में उत्तर के लिए देय तारांकित प्रश्न सं. *249 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (घ): आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में गुण्डलाकम्मा जलाशय परियोजना को मूल रूप से 453.85 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर अनुमोदित किया गया था और वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के तहत शुरू किया गया था। परियोजना की अधिकतम सिंचाई क्षमता 32,400 हेक्टेयर है। वर्ष 2016-17 के दौरान 753.83 करोड़ रुपये की संशोधित लागत वाली गुण्डलाकम्मा जलाशय परियोजना को पीएमकेएसवाई के त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) घटक में शामिल किया गया था। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार परियोजना की लागत में वृद्धि, मुख्य रूप से भूमि अधिग्रहण और आर एंड आर तथा मूल्य वृद्धि के कारण हुई।

परियोजना का कुल व्यय 673.46 करोड़ रुपये है और सृजित सिंचाई क्षमता 26,784 हेक्टेयर है। आंध्र प्रदेश सरकार के अनुसार परियोजना के पूरा होने और शेष सिंचाई क्षमता के सृजन में देरी माननीय उच्च न्यायालय, आंध्र प्रदेश में लंबित रिट याचिकाओं के कारण है।

*****